

कार्यालय- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली।

पत्रांक: मान्यता/11313-16/2006-2007

दिनांक: 21-2-07

प्रबन्धक,

निर्मलिका न्यूटेक स्कूल - मंडला
बि० नं० - सुजोन, रायबरेली

विषय - प्राथमिक विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में

महोदय,

आपके मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र के संदर्भ में राजीनामा संख्या 2042-10/88 दिनांक 15.5.01 के अन्तर्गत निर्मित एवं समय-समय पर शासन के संशोधित नियमों एवं शासनादेश सं० 1873/15.6.98/8एत० 17/89 दि० 10.9.98 में लिखित निर्देशों के अनुरूप में जिला मान्यता समिति को बैठक दि० 20-2-2007 में किए गए निर्णयानुसार आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता दि० 1-7-2006 से इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अस्थायी मान्यता के दौरान जांच करने पर यदि किसी पत्रों में कोई त्रुटि/कमी पाई जाती है, अधिनियम/शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रश्नगत विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी। यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि 5 वर्ष में स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
रायबरेली।

पृष्ठोंकन संख्या मान्यता/11313-16/2006-2007 तिथि वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली।
3. ~~नगर शिक्षा अधिकारी~~/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
रायबरेली।